न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0न0 13 / अपील (आर0टी0आई) / 2022

गौतमराज जैन आ0 ज्ञानचन्द जैन
निवासी– बकानी तहसील बकानी झालावाड (राज0)(अपीलान्ट)
बनाम
लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी, झालावाड (अप्रार्थी)

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक: 05.04.2022

:: निर्णय ::

अपीलान्ट द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि प्रार्थी ने लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, झालावाड से दिनाक 31.01.2022को पत्र द्वारा सूचना चाही जाने पर उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है। निम्न सूचना चाही गई थी

01. आपके पत्र क्रमांक 965–966 दिनांक 16.10.2020 को मुझ प्रार्थी,राज्य सूचना आयोग जयपुर व जिला कलक्टर को सूचना दी थी जिसमें सूचना आयोग जयपुर को द्वितीय अपील सं0 16918 / 2020 निर्णय 09.03.2021 में आपके द्वारा बिन्दु संख्या 01 में अंकित किया कि पत्रावी कार्यालय में उपलब्ध नही है कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने हेतु पत्र क्रमांक 1672 दिनांक 14.07.2017 से जिला कलक्टर को प्रेषित किया उस पत्र की छाया प्रति । बिन्दु संख्या 3 में उल्लेख किया कि मिसल न0 453 का हवाला देकर मूल ....।

02. पत्र क्रमांक 967–968 दिनांक 16.10.2020 को मुझ प्रार्थी,राज्य सूचना आयोग जयपुर व जिला कलक्टर को सूचना दी थी जिसमें सूचना आयोग जयपुर को द्वितीय अपील निर्णय 16.03.2020 अनुसार भू रूपान्तरण क्रमांक 146–148 दिनांक 11.02.2002 में चालान न0 40 रूपये 264 जमा होना बताया है । जब चालान प्राप्त है तो मिसल रूपान्तरण 146–148 भी होना चाहिये..............। वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी को नोटिस भिजवाया जाकर सुनवाई हेतु दिनांक: नियत कर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

अपीलार्थी दौराने सुनवाई अनुपस्थित रहे। लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी,झालावाड द्वारा उपस्थित हो जवाब पेश किया गया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रा0पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार कार्यालय जिला कलक्टर झालावाड द्वारा पत्रांक 128दिनांक 11.02.2022 से प्रा0पत्र उपखण्ड अधिकारी झालावाड से सम्बन्धित होने से उनको कार्यालय में संधारित कृति,दस्तावेजों,अभिलेखों की वांछित सूचना नियमानुसार नियत अवधि में प्रार्थी को उपलब्ध करवाने के निर्देश के साथ अन्तरित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा नियत समय में प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी झालावाड को कार्यालय के पत्रांक 126 / रीडर / 22 दिनांक 23.03.2022 को नोटिस भिजवाकर नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस में आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु भी निर्देशित किया गया । उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा पत्रांक 257 दिनांक 05.04.2022 से आंशिक सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है. अपीलार्थी द्वारा वांछित रेकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नही होने पर इस बाबत अपीलार्थी को सूचित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के कम मे स्पष्ट किया जाता है प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। इसी प्रकार माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रकरण संख्या सी0आई0सी0 / ए0टी0ए0 / 2006 / 000588 विभोर दिलिप बरला बनाम केन्द्रीय एक्साईज एंव कस्टमस् नासिक में दिनांक 30.11.2006 को पारित निर्णय अनुसार भी लोक सूचना अधिकारी का यह कार्य नही है कि वह जांच या अनुसंधान प्रारम्भ करें या प्रार्थी के प्रश्नो के सुझावात्मक उत्तर तैयार करें। पी0आई0ओ0 केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना साबित है। अपील का इसी अनुरूप निस्तारण किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक: 05.04.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड
दिनाक:

क्रमांक: 153-55 / रीडर / 22
प्रतिलिपि:–
01. प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड
02. लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, झालावाड
03. गौतम राज जैन आ0 ज्ञानचन्द नि0 बकानी तहसील बकानी,झालावाड (राज.)

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर झालावाड